Regarding the difficulties faced by the people to record their thumb impression on biometric identification machine to avail the benefits of subsidized foodgrains under National Food Security Act-Laid

श्री बाबू सिंह कुशवाहा **(**जौनपुर**) :** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलो राशन (गेहूं/चावल) मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है । यह योजना थंब इंप्रेशन बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से संचालित हो रही है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और पात्र लोगों को उनका हक मिल सके । यह अत्यंत चिंता का विषय है कि थंब इंप्रेशन मिलान में असफलता के कारण बड़ी संख्या में गरीब, मजदूर, बुजुर्ग और श्रमिक वर्ग के लाभार्थी राशन से वंचित हो रहे हैं । बायोमेट्रिक पहचान में बार-बार विफलता से इन वर्गों के लोग अपना हक नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं । ऐसी स्थिति में बचा हुआ राशन कोटेदार द्वारा अपनी मर्जी से वितरित कर दिया जाता है, जिससे योजना का मूल उद्देश्य विफल हो रहा है । अतः सरकार से यह जानना आवश्यक है: 1. थंब इंप्रेशन में विफल होने वाले लाभार्थियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या की गई है? 2. क्या सरकार ऑफलाइन मोड या आधार प्रमाणीकरण की अतिरिक्त सुविधा सुनिश्चित कर रही है? 3. इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए सरकार की दीर्घकालिक कार्ययोजना क्या है?